CUTS International

PRESS RELEASE

CONSUMER UNITY & TRUST SOCIETY - A registered, recognised, non-partisan, non-profit and non-government organisation pursuing social justice and economic equity within and across borders

सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों ने राज्य में सड़क सुरक्षा प्राधिकरण की जरूरत बताईः मंत्री ने भी सहमति दी– 'कट्स' कार्यशाला

जयपुर, 7 सितम्बर, 2021।

कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी 'कट्स' द्वारा आज मोटर वाहन अधिनियम, 2019 के दो वर्ष पूर्ण होने पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के मुख्य अतिथिं परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास थे। उन्होंने अपने उद्बोधन में बताया कि मोटर वाहन अधिनियम, 2019 राजस्थान राज्य में भी लागू हो चुका है। इस अधिनियम के तहत सड़क सुरक्षा के नियमों की पालना नहीं करने पर कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमें सड़क दुर्घटनाओं के कारणों पर ध्यान देना होगा। साथ ही हमारा दायित्व यह भी होना चाहिए कि हम सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की जान बचाएं। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की जान बचाने में अभी एम्बुलेंस के आने का समय 18 मिनट है। इसमें लगने वाले समय को कम करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि 50 प्रतिशत सड़क दुर्घटनाएं लापरवाही के कारण से होती हैं। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकार एवं भारत सरकार में प्रभावी तालमेल जरूरी है। उन्होंने ट्रोमा केयर पॉलिसी, बाल सुरक्षा पॉलिसी बनाने की भी आवश्यकता बताई।

कार्यशाला के प्रारम्भ में 'कट्स' के निदेशक जॉर्ज चेरियन ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम देश में 100 वर्ष पुराना था। आज के समय में सड़क सुरक्षा के तहत इस अधिनियम में बदलाव की जरूरत थी। इस अधिनियम में संशोधन हेतु 'कट्स' लम्बे समय से कार्यरत थी। इसके लिए लोकसभा एवं राज्यसभा के सांसदों से लगातार सम्पर्क करते हुए भारत सरकार को इस अधिनियम में संशोधन हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इस संशोधित अधिनियम 2019 में पूरे देश में लागू हो चुका है। इस अधिनियम को लाने का मुख्यक उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ाना है। साथ ही, यातायत नियमों की सख्ती से पालना करना है। उन्होंने बताया कि 1.5 लाख व्यक्ति प्रतिवर्ष सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। इसमें देखा गया है कि 18 से 35 वर्ष की उम्र के व्यक्ति ज्यादातर युवा मृत्यु के शिकार होते हैं। कार्यशाला में चेरियन ने इस बात को प्रमुखता से रखा कि राज्य में सड़क सुरक्षा हेतु राज्य सड़क सुरक्षा प्राधिकरण की आवश्यकता है।

कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में ए.डी.जी., ट्रैफिक पुलिस सुष्मित बिस्वास ने कहा कि भारत में सड़क दुर्घटनाएं अन्य देशों के मुकाबले ज्यादा होती है। प्रति वर्ष 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं देश में हो रही हैं। इन सभी सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाएं रोकने हेतु रोड़ डिजाइनिंग की भी प्रमुख भूमिका है। नये कानून में जुर्माना राशि बढ़ाई गई है, इससे वाहन चालक सतर्क एवं जागरूक होकर वाहन चलाएंगे।

कार्यशाला में परिवहन आयुक्त महेन्द्र सोनी ने बताया कि राज्य में मोटर वाहन अधिनियम, 2019 की सख्ती से पालना की जा रही है। साथ ही, परिवहन विभाग अब आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल भी कर रहा है। इसके तहत लर्निंग लाईसेंस की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है। साथ ही, लर्निंग लाईसेंस में अब अनिवार्य रूप से अंगदान को भी शामिल किया गया है। तथा यातायात नियमों की जागरूकता हेतु राज्य के सभी 33 जिलों में ट्रेफिक पार्क बनाए जा रहे हैं। इलेक्ट्रीक व्हीकल ट्रेफिक पॉलिसी भी राज्य में लाई जा रही है।

कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में 'कट्स' के मधुसूदन शर्मा ने मोटर वाहन अधिनियम, 2019 की पैरवी हेतु किये गये कार्यों का प्रस्तुतिकरण दिया।

CUTS International

PRESS RELEASE

तकनीकी सत्र में संयुक्त परिवहन आयुक्त निधि सिंह ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में बच्चों की सुरक्षा हेतु नई नीति बनाए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने परिवहन विभाग द्वारा संचालित सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। इसी सत्र में सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रोमा सेंटर के डॉ. गिरधर गोयल ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्ति को तुरंत चिकित्सा उपलब्ध करवाने हेतु आधुनिक चिकित्सा तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। इसी सत्र में पीपुल्स ट्रस्ट की प्रेरणा सिंह ने बताया कि सड़क सुरक्ष के तहत मुख्य रूप से एक अच्छे मददगार की आवश्यकता है जो कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद कर उसे तुरंत चिकित्सालय पहुंचाएं।

कार्यशाला में करीब 40 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यशाला के समापन पर 'कट्स' के अमित बाबू ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

अधिक जानकारी हेतु सम्पर्क करें:

सत्यपाल सिंह (94602 91906)

'कट्स' सेंटर फॉर कन्ज्यूमर एक्शन, रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग

डी– 218, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर

फोनः 141–.5133259, 2282821 / 2282482; Fax: 141–4015395

ईमेलः; sts@cuts.org